

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय-1: प्रस्तावना

अध्याय-2: विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
(राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 3,101.07 करोड़ है।

अध्याय-1: प्रस्तावना

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड सरकार के 60 विभागों के साथ 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा इसके अन्तर्गत 48 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, आदि) की लेखापरीक्षा आती है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार के 60 विभागों के अन्तर्गत कुल 48,755 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 39 विभागों की 503 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इस प्रतिवेदन में आठ विषयों- “उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण”, “प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0)”, “प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना का विकास”, “कुम्भ मेला कार्यों का प्रबंधन और निष्पादन”, “दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली”, “डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग”, “जी एस टी भुगतानों और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी” और “पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) और 15 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं जो दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 11 विभागों से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/संस्थाओं में 33 प्रकरणों में इंगित की गई ₹ 275.57 करोड़ की वसूली, संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार की गई थी। इसके सापेक्ष, 03 प्रकरणों में ₹ 0.02 करोड़ (0.007 प्रतिशत) की वसूली की गई।

**अध्याय-2: विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
(राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)**

लेखापरीक्षा प्रस्तर

₹ 2.98 करोड़ का अलाभकारी व्यय और विभाग व ठेकेदार के बीच ₹ 1.74 करोड़ का अनसुलझा विवाद

खराब वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही की कमी के परिणामस्वरूप छोड़े गए काम पर ₹ 2.98 करोड़ का अलाभकारी व्यय एवं अनुबंध की समाप्ति के 69 माह बाद भी, ठेकेदार के बकाया से संबंधित विवाद का अनसुलझा रहना।

(प्रस्तर 2.1; पृष्ठ संख्या 11)

संचार मीडिया पर ₹ 10.79 करोड़ का अलाभकारी व्यय

वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात केदारनाथ और उसके आसपास के विकास कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए ₹ 10.79 करोड़ की लागत से संचार मीडिया के निर्माण की परियोजना बिना उचित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं के शुरू की गई। सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.2; पृष्ठ संख्या 13)

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण के प्राधिकारी योजनाबद्ध तरीके से उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण परियोजना का प्रबंधन करने में असफल रहे क्योंकि सेतुओं, सड़क/नदी तट संरक्षण एवं एस डी आर एफ (चरण-II) प्रशिक्षण सुविधा से संबन्धित 23 चिन्हित कार्यों को परियोजना में आच्छादित नहीं किया गया था, जबकि ₹ 75.81 करोड़ की कार्यक्रम निधि का उपयोग दायरे से बाहर के कार्यों के लिए किया गया था। कार्यों के आगणन/अनुमोदन में कमी पाई गई क्योंकि 43 कार्य (कुल 74 में से) उच्चतर लागत पर आगणित थे, दोषपूर्ण डिजाइनों को अपनाया गया था, आवश्यकता से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी थी और स्वीकृत झूला पुलों के सापेक्ष स्टील-ट्रस पुलों का निर्माण किया जा रहा था, जिन्हे सम्यक तत्परता से टाला जा सकता था।

कार्यक्रम प्रतिपादन तंत्र लगभग सभी मोर्चों पर अप्रभावी था क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान आकस्मिकता आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों की समय पर खरीद और निविदाओं के अंतिमिकरण करने/अनुबंध गठित करने में लगातार देरी पायी गयी थी। 96 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ और बहुत धीमी प्रगति के कारण, ₹ 82.35 करोड़ लागत के दो पुलों और एक सार्वजनिक भवन के निर्माण का कार्य, उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण के विस्तारित समय के भीतर भी पूरा होने की संभावना कम थी। अधिक भुगतान, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, कार्यों के लिए अतिरिक्त सामग्री का अनुचित उपभोग किये जाने के प्रकरण थे, जिनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 2.3; पृष्ठ संख्या 17)

अनुशंसा:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- **दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना, जिसके कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।**

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0) पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड में पी एम के वी वाई 2.0 योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा बेरोजगार युवाओं और स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को कौशल/रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी।

130 बैचों के 90 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण/ गैर-प्रमाणित थे, हालांकि, संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं से ₹ 1.61 करोड़ समायोजित/वसूल नहीं किए गए थे। 39,353 सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थियों में से किसी को भी ₹ 500 का मौद्रिक पुरस्कार नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पात्र अभ्यर्थियों को ₹ 1.97 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन और प्रमाणन के बावजूद 22,314 महिला अभ्यर्थियों को ₹ 2.23 करोड़ की मासिक वाहन भत्ता सहायता प्रदान नहीं की गई।

नियुक्त 16,489 अभ्यर्थियों में से किसी को भी नियुक्ति सहायता राशि ₹ 3.79 करोड़ प्राप्त नहीं हुई। कुल 48,389 नामांकित अभ्यर्थियों में से मात्र 7,525 अभ्यर्थियों को इंडक्शन किट प्रदान की गई और मात्र 8,504 अभ्यर्थियों को हस्त-पुस्तिका प्रदान की गई। अभिलेखों की नमूना जांच से प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियुक्ति के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेजों में विसंगतियों के प्रकरण प्रकाश में आए, जैसे कि लेन-देन की तिथियों में कालक्रम का अभाव, समान लेनदेन संख्या और विभिन्न अभ्यर्थियों के बैंक विवरणों में समान तिथियां में निकाली गई समान राशि, जो अभिलेखों में छेड़छाड़ का संकेत देती है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा विभिन्न संगठनों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दावा करने वाले उदाहरण भी थे, हालांकि ये संगठन उल्लिखित पते पर नहीं पाए गए थे।

98 प्रशिक्षण प्रदाताओं में से 31 प्रशिक्षण प्रदाताओं ने योजना की पूरी पांच वर्ष की अवधि के लिए एक भी नियुक्ति प्रदान नहीं किया था, हालांकि, विभाग ने इन प्रशिक्षण प्रदाताओं के खराब प्रदर्शन का संज्ञान नहीं लिया और 5,610 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए कुल ₹ 3.89 करोड़ का भुगतान किया। एम आई एस आंकड़ों की जांच में विसंगतियां सामने आईं जैसे 511 अभ्यर्थी जो मूल्यांकन के दौरान विफल रहे या अनुपस्थित रहे, 41 प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियुक्त दर्शाया गया था, जो पोर्टल पर आंकड़ों में प्रामाणिकता की कमी की ओर इशारा करते हैं। यह प्रमाणित करता है कि विभाग द्वारा कमजोर निगरानी और प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं क्षेत्रीय कौशल परिषदों के दावों के अप्रभावी सत्यापन के कारण प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियुक्ति से संबंधित गलत एम आई एस डेटा प्रस्तुत किए, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन में पाया गया।

इस प्रकार, उत्तराखण्ड में पी एम के वी वाई का कार्यान्वयन कई आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों और गंभीर अनियमितताओं से घिरा हुआ था।

(प्रस्तर 2.4; पृष्ठ संख्या 52)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- **बेरोजगार युवाओं को कुशल प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन किए जाने एवं प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है;**

- चेकलिस्ट, निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा, रिपोर्ट/रिटर्न की प्रणाली और इसकी समीक्षा को लागू करने की आवश्यकता है जिससे अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी;
- सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं और क्षेत्रीय कौशल परिषदों द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण, प्रमाणन और नियुक्ति के दावों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए और फर्जी दावों के संबंध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

केंद्रीय योजनाओं 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' के अंतर्गत अवसंरचना के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

भूमि की अनुपलब्धता और कार्य स्थल की उपलब्धता से संबंधित अन्य प्रकरणों, निर्दिष्ट प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) आदि के कारण, हेरिटेज सर्किट के 68 घटकों में से 10 और केदारनाथ परियोजना के 71 घटकों में से 22, जिनकी लागत ₹ 50.33 करोड़ थी, या तो हटा दिए गए या उनका स्थान/दायरा बदल दिया गया। हेरिटेज सर्किट के पांच घटकों पर किए गए ₹ 3.94 करोड़ का व्यय गलत स्थल चयन के कारण अलाभकारी रहा।

विभाग की ओ&एम योजना में कमी थी क्योंकि केदारनाथ परियोजना के लिए कोई ओ&एम योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी और हेरिटेज सर्किट, बद्रीनाथ और केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत निर्मित लगभग सभी प्रमुख घटक उनके निर्माण के उपरांत 30 से 64 महीनों तक निष्क्रिय रहे। गलत स्थल चयन और उचित संचालन एवं रखरखाव के अभाव में, हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत ₹ 14.41 करोड़ की लागत वाले 16 घटक और तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) के अंतर्गत केदारनाथ एवं बद्रीनाथ परियोजना में ₹ 8.94 करोड़ की लागत वाले 10 घटक, उनके पूर्ण होने उपरांत काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अप्रयुक्त रह गए।

हेरिटेज सर्किट और केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर ₹ 4.88 करोड़ की लागत से पाँच व्याख्या/सूचना केंद्रों का निर्माण किया गया, हालाँकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त और अक्टूबर 2022) के दौरान सभी व्याख्या केंद्र असंचालित और बंद पाए गए।

निगरानी समिति के गठन में देरी, मार्च 2022 तक बैठकें आयोजित न करना और निर्माण के बाद किसी भी निगरानी तंत्र का अभाव, विभाग में प्रभावी निगरानी तंत्र के अभाव को दर्शाता है।

(प्रस्तर 2.5; पृष्ठ संख्या 67)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- स्थल का चयन आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए पर्यटकों की आमद, पर्यटक सुविधाओं का सर्वेक्षण एवं पर्यटकों की शिकायतों/सुझावों पर आधारित एक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए;
- निर्मित परिसंपत्ति का उचित एवं सफल संचालन व रख-रखाव, योजना के उद्देश्य की पूर्ति का आधार है। इसलिए, विभाग द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का उचित संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

सलाहकार की नियुक्ति पर ₹ 8.06 करोड़ का अनियमित व्यय

विभाग ने निविदाएं आमंत्रित नहीं की और नियमों का उल्लंघन करते हुए सलाहकार को भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.06 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.6; पृष्ठ संख्या 88)

अनियमित खरीद के कारण ₹ 75.49 लाख का अतिरिक्त व्यय

विभाग, नियमों का पालन करने और एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी खरीद प्रक्रिया को लागू करने और सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.49 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.7; पृष्ठ संख्या 90)

कुम्भ मेला कार्यों के प्रबंधन और निष्पादन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में आयोजित कुम्भ मेला, 2021 कोविड-19 महामारी परीक्षण में अनियमितताओं, कार्यों के अनुचित आवंटन, विभिन्न विभागों द्वारा दोषपूर्ण क्रियान्वयन और नियोजन से प्रभावित रहा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया कि निष्पादित की जाने वाली 13 परियोजनाएँ रद्द कर दी गईं और इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित ₹ 36.99 करोड़ राज्य सरकार को वापस नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अवरुद्ध रही। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में देरी और क्षतिपूर्ति राशि वसूले नहीं किए जाने के प्रकरण थे। मेलाधिकारी द्वारा प्रयोगशालाओं का पैनलीकरण तो किया गया था, परंतु प्रयोगशालाओं की सूची बनाने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

मेला प्रशासन की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने, कार्यों को विभाजित करने और दो प्रभागों द्वारा, बिना आवश्यक वित्तीय स्वीकृति के कार्यों को निष्पादित करने, संरचना को ध्वस्त करने के बाद स्टील की कम प्राप्ति और अस्थायी सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 5.52 करोड़ की परिहार्य लागत वृद्धि आदि के उदाहरण थे।

हालांकि, पुलिस विभाग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के साथ पुलिस निगरानी प्रणाली (पी एस एस) का उपयोग करके भीड़ प्रबंधन करना सराहनीय था।

(प्रस्तर 2.8; पृष्ठ संख्या 92)

अनुशंसा:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- सामूहिक समारोहों के ऐसे आयोजनों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की समय पर क्रय और स्थापना।

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

पंजीकृत लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क के न्यूनारोपण से संबंधित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

नमूना जांच में कई प्रणालीगत कमियां सामने आईं, जैसे सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं होना, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ “भूलेख” अभिलेखों का एकीकरण नहीं किया जाना, पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और विशिष्ट पहचान (यू आई डी) के साथ वेब सेवा लिंक नहीं होना और स्टांप अधिनियम की अनुचित धाराओं के अंतर्गत विलेख पत्रों के

गलत वर्गीकरण के प्रकरणों को कलेक्टर, स्टॉप को संदर्भित करना। इसके अतिरिक्त, अनुपालन प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टॉप शुल्क और निबंधन शुल्क के न्यूनरोपण से संबंधित प्रकरण प्रकाश में आए, जैसे दस्तबरदारी, बंधक, तितिम्मा, व्यवस्थापन और विभाजन विलेख, अलग शेयर, पारिवारिक हस्तांतरण और मुख्तारनामा के प्रकरण।

इस प्रकार, उचित स्टॉप शुल्क और निबंधन शुल्क लगाने हेतु दस्तावेजों के वर्गीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारियों द्वारा अधिनियमों, नियमों और नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 6.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

(प्रस्तर 3.1; पृष्ठ संख्या 115)

अनुशंसा:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- पंजीकरण सॉफ्टवेयर को उन्नत किया जा सकता है जिससे तितिम्मा विलेख का उसके मूल विलेख के साथ मिलान किया जा सके, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ “भूलेख” अभिलेखों का एकीकरण और पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी के साथ वेब सेवा लिंक का प्रावधान किया जाए।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

रॉयल्टी की वसूली न होना

रॉयल्टी की वसूली न होने के कारण ईट भट्टा संचालको को ₹ 10.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 3.2; पृष्ठ संख्या 140)

अनियमित व्यय

कुमाऊं मंडल के आयुक्त द्वारा, आयुक्त कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार कार्य में ₹ 4.23 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.3; पृष्ठ संख्या 141)

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

विभागीय स्तर पर अप्रभावी नियोजन के परिणामस्वरूप पायलट जिलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों (एम आर आर) की स्थापना हेतु कार्य का क्रियान्वयन अधूरा रहा। एम आर आर की स्थापना से संबंधित कार्य के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालयों में इसके लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही एम आर आर में सिविल कार्य निष्पादित कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक कार्य मदों पर व्यय हुआ। बोर्ड द्वारा संबंधित तहसीलों में एम आर आर की स्थापना से पूर्व ही उपकरण/सामग्री क्रय कर ली गई थी, जिसके कारण उक्त उपकरण कई तहसीलों में अप्रयुक्त/डंप पड़े रहे। जिन तहसील कार्यालयों में ये उपकरण स्थापित किए गए थे, कर्मचारियों की कमी के कारण वहाँ भी इनका उपयोग नहीं हो सका।

(प्रस्तर 3.4; पृष्ठ संख्या 144)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

₹ 2.84 करोड़ की जुर्माना राशि का गैर-अधिरोपण

विभाग द्वारा उत्तराखण्ड खनिज नियमावली, 2005 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दरें लागू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अवैध खनन सामग्री वाले 334 वाहनों के विरुद्ध ₹ 2.84 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

(प्रस्तर 3.5; पृष्ठ संख्या 156)

अवैध रूप से खनन/परिवहन किए गए उप खनिजों के उपयोग के कारण ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना लगाने में विफलता

खनन नियमों और विनियमों, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं सरकारी आदेशों में परिकल्पित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने में जिलाधिकारियों/अन्य प्राधिकारियों की विफलता/लापरवाही के कारण ₹ 252.26 करोड़ का जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 3.6; पृष्ठ संख्या 157)

'जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभागीय निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) विवरणी दाखिल की बदलती प्रवृत्ति और निरंतर डाटा विसंगतियों के संदर्भ में किया गया था, जिसका उद्देश्य विवरणी दाखिल और कर भुगतान, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह एस एस सी ए मुख्य रूप से करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी के विश्लेषण पर आधारित था, जिसने 2017-18 के लिए दायर जी एस टी विवरणी में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी सूचनाओं और कुछ प्रकरणों में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया। एस एस सी ए में उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग के क्षेत्राधिकार संरचनाओं (सेक्टरों)/राज्य क्षेत्राधिकार संरचनाओं के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर मूल्यांकन करना शामिल था - वैश्विक डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर सेक्टरों, जी एस टी विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ जिसमें करदाता अभिलेखों तक पहुंच शामिल थी।

विभाग ने विवरणी की जांच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (मई 2022) तैयार करने के बाद, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2017-18 और 2018-19 की विवरणी की जांच शुरू की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 10 सेक्टरों में आने वाले 2017-18 से 2020-21 से संबंधित कुल प्रकरणों (79,057) में से, विभाग उक्त अवधि के दौरान केवल 364 (0.46 प्रतिशत) प्रकरणों की जांच कर सका। करदाताओं द्वारा कर देयता के स्व-मूल्यांकन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए विभाग को विवरणी की जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी में देखी गई विसंगतियों को तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकी। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि करदाताओं के अभिलेखों की विस्तृत जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सके।

विभाग को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता है ताकि सीमित और विस्तृत लेखापरीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों का शीघ्र समाधान किया जा सके और सरकार को देय राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

अनुपालन कमियों की अधिकता को देखते हुए, विभाग को समय समाप्त होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच को मजबूत करने और विवरणी दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, अन्य कर अधिकारियों की रिपोर्टों का अनुसरण, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सेक्टरों में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.7; पृष्ठ संख्या 159)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्यों को विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त कर मांग को देखते हुए वृद्धि की जा सकती है।
- विभाग प्रकरणों के कालबाधित होने से पहले निर्दिष्ट बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय दलों को भी निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

₹ 5.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ

स्वीकार्य/सत्यापित/देय आई टी सी की सापेक्ष व्यापारी को अधिक आई टी सी का लाभ दिया गया था, जिसके कारण ₹ 5.37 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.8; पृष्ठ संख्या 213)

कर का अनारोपण

कारोबार के हस्तान्तरण के पश्चात अचल परिसम्पत्तियों पर कर आरोपित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 45.38 लाख की राजस्व क्षति हुई जिस पर ₹ 37.44 लाख का ब्याज भी देय है।

(प्रस्तर 3.9; पृष्ठ संख्या 214)

कर का अनारोपण

विभाग ने अन्तिम स्टॉक पर कर नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.44 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 3.10; पृष्ठ संख्या 216)

कर निर्धारण अधिकारी की उचित सतर्कता में कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन

वैधानिक विवरणी दाखिल करने के अभाव एवं जी एस टी विवरणियों के साथ प्रति सत्यापन की कमी के कारण व्यापारी को एकतरफा करमुक्त घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन हुआ।

(प्रस्तर 3.11; पृष्ठ संख्या 217)

मिथ्या प्रपत्र-सी के उपयोग पर अनियमित कर छूट

कर की रियायती दर का लाभ लेने के लिए व्यापारी द्वारा मिथ्या प्रपत्र-सी उपयोग किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 47.63 लाख का अर्थदण्ड एवं कर की भुगतान न की गयी राशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था।

(प्रस्तर 3.12; पृष्ठ संख्या 219)

कर का न्यूनारोपण

कर की गलत दर लागू करने एवं व्यापारी द्वारा आयातित वस्तुओं (डीजल/पेट्रोल) की कम खरीद प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.71 लाख की राजस्व क्षति हुई।

(प्रस्तर 3.13; पृष्ठ संख्या 221)

अध्याय-4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

उत्तराखण्ड में, 31 मार्च 2022 को 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (चार वैधानिक निगम और 28 सरकारी कंपनियां जिनमें नौ निष्क्रिय सरकारी कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल हैं) थे। यह प्रतिवेदन 2019-20 से 2021-22 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके खातों की प्राप्ति के आधार पर 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एस पी एस ई) के वित्तीय प्रदर्शन को संक्षेप में

प्रस्तुत करती है (या जिसके संबंध में इन वर्षों से संबंधित कम से कम एक खाता 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त हुआ है)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) की तुलना में इन 14 एस पी एस ई के कारोबार का अनुपात पिछले तीन वर्षों में घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में एस पी एस ई के योगदान में कमी आई है।

31 मार्च 2022 तक, 32 एस पी एस ई में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 8,993.76 करोड़ था। इसमें से उत्तराखण्ड सरकार ने इक्विटी के रूप में ₹ 3,856.24 करोड़ और दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 969.83 करोड़ का अंशदान किया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 1,297.35 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई।

वर्ष 2021-22 में सात एस पी एस ई द्वारा अर्जित ₹ 270.24 करोड़ के कुल लाभ में से 98.30 प्रतिशत का योगदान चार एस पी एस ई द्वारा किया गया था। लाभ अर्जित करने वाले दो एस पी एस ई ने वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश भुगतान/घोषित किया था, हालांकि, पांच अन्य एस पी एस ई ने कोई भी लाभांश का भुगतान/घोषित नहीं किया था।

छः एस पी एस ई द्वारा रिपोर्ट की गई अवधि 2021-22 के दौरान हुए ₹ 216.35 करोड़ के कुल हानि में से अकेले यू पी सी एल की हानि ₹ 151.75 करोड़ की थी।

संचित घाटे से सात एस पी एस ई का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन सात एस पी एस ई में से पांच एस पी एस ई पर उत्तराखण्ड सरकार का ₹ 295.66 करोड़ का ऋण बकाया है। एस पी एस ई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, अपने खातों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप, 19 सरकारी कंपनियों के 130 वार्षिक खाते बकाया थे। इसमें दो निष्क्रिय कंपनियों के 57 वार्षिक खाते शामिल थे। इसके अलावा चार सांविधिक निगमों के 12 वार्षिक खाते भी बकाया थे। एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 180.06 करोड़ और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर ₹ 280.30 करोड़ था।

(प्रस्तर 4.1; पृष्ठ संख्या 223)

"पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन नियमावली, जिसे पारेषण परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाना था, के अभाव में परियोजनाओं की नियमित आधार पर पहचान नहीं की जा सकी।

कंपनी अधिकांश परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने में विफल रही। इसमें परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी के लिए प्रस्तुत औचित्य की समीक्षा करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था। किए गए समझौतों और अनुबंधों के आवंटन और निष्पादन में कमियों के उदाहरण थे। कंपनी के पास परियोजनाओं की निगरानी के लिए किसी औपचारिक समीक्षा तंत्र का भी अभाव था जो संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद कर सके। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी से पहले कार्य आवंटन पत्र जारी करने के अप्रभावी निधि प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 20.27 करोड़ का अनुदान अनुपलब्ध रहा।

कंपनी के पास अपना स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप समय पर प्रणाली में सुधार अप्रभावी था।

(प्रस्तर 4.2; पृष्ठ संख्या 249)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड अनुदान की समाप्ति और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागत की अस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी परियोजना प्रबंधन के लिए अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाए तथा कंपनी के आकार और आवश्यकता के अनुरूप अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करे।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

राजस्व क्षति

उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने से राजस्व की हानि ₹ 5.96 करोड़ हुई।

(प्रस्तर 4.3; पृष्ठ संख्या 278)